212

आयोजनागत
संख्या-2040/XXII/2011-2(2)2011

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सूचना अनुभाग

देहरादून : दिनांक 27 जुलाई, 2011

विषयः- वित्तीय वर्ष 2011-12 में सूचना निदेशालय के भवन निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-250/सू. एवं लो.स.वि.(प्रशा)/65/2001 दिनांक 26 फरवरी, 2011 के सन्दर्भ तथा शासनादेश संख्या-273/XXII/2010-10(1)08, दिनांक 27 मार्च, 2010 तथा शासनादेश संख्या-209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना निदेशालय के भवन निर्माण हेतु डी.पी.आर. गठित किये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये रू0 29.34 लाख के प्रारम्भिक आगणन पर टी.ए.सी. (वित्त) द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रू0 15.64 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते हुये उक्त शासनादेश दिनांक 27 मार्च, 2011 द्वारा पूर्व में स्वीकृत की गई धनराशि रू0 10.00 लाख के पश्चात् अवशेष धनराशि रू0 5.64 लाख (रूपये पांच लाख चौसठ हजार मात्र) की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1- इस कार्य हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि को उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम के निवर्तन पर यथाशीघ्र रखा जाना सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त धनराशि के सापेक्ष प्रश्नगत कार्य हेतु प्रचलित व्यवस्था एवं शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ करते हुये स्वीकृत धनराशि व्यय की जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी कार्यो के लिये सक्षम स्तर से प्राविधिक स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी तथा उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्ही कार्यो पर किया जायेगा, जिसके लिये यह धनराशि स्वीकृत की जा रही हो।

4- कार्य करने से पूर्व समस्त वांछित औपचारिकता पूर्ण कराते हुये लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

5- यदि उक्त कार्यो हेतु अन्य विभागीय बजट से धनराशि पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है तो, उस कार्य हेतु शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

6- व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्यो के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2012 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टैण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतो को प्रचलित वित्तीय नियमो का अनुपालन कर राजकोष में जमा कर दिया जाय

साथ ही कार्य कराते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 के नियमो का भी अनुपालन किया जाय।

7– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

8– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

9– इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य–051–निर्माण–03–सूचना निदेशालय हेतु भवन निर्माण की व्यवस्था–24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

10– उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग के पत्र संख्या–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 में नीहित दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी की जा रही है।

भवदीय,

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

पृ0संख्या– 204 (1)/XXII/2011–2(2)2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम, देहरादून।
5– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
6– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
7– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
8– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
9– एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से
19.7.2011
(विनोद शर्मा)
अपर सचिव।